न्यायालय विशेष न्यायाधीश,एस0सी0एस0टी0एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश,लखनऊ।

उपस्थित:एस0ए0एच0रिजवी–एच0जे0एस0

सत्र परीक्षण सं0:506/2013
मु0अ0सं0:281/2007
धारा:115,120बी,121,121ए,124ए,307 भा0दं0सं0
व धारा 16/18/20/23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवा0अधि0
थाना:वजीरगंज,लखनऊ।

राज्य.....प्रति.....अब्दुल रहमान उर्फ मो0 इकबाल उर्फ मौलाना इकबाल

निर्णय

अभियुक्त अब्दुल रहमान उर्फ मोहम्द इकबाल उर्फ मौलाना इकबाल का विचारण मु0अ0सं0 281/2007 अन्तर्गत धारा 115,120बी,121,121ए,122,124ए व 307 भा0दं0सं0 तथा धारा 16/18/20/23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना वजीरगंज की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया।

अभियोजन केस इसप्रकार है कि दिनांक 23/06/2007 को निरीक्षक एस0टी0एफ0,लखनऊ अविनाश मिश्रा ने एक फर्द थाना वजीरगंज में इस आशय से दी कि''भारत के सीमावर्ती विदेशी राष्ट्रो की भूमि से संचालित आतंकवाद संगठन हरकल उल जेहाद अल इस्लामी जो अन लॉफुल एक्टीविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 2(1)(एम) तथा 35 के अनुसार प्रतिबंधित संगठन है जो भारत के विरुद्ध राष्ट्र विरोधी गतिविधियो में लिप्त है। यह विदेशी आतंकवादियो को शस्त्रो व विस्फोटको के साथ भारत में घुसपैठ कराना एवं भारतीय मूल के युवको को अवैध रुप से बाहर भेजकर विदेशी भूमि पर आतंकवादी गतिविधियो की ट्रेनिंग दिलाकर प्रशिक्षित आतंकवादियो द्वारा भारत में आतंक एवं विध्वंसक कार्यवाही कर रहा है। इस सम्बंध में केन्द्रीय अभिसूचना एजेन्सियो द्वारा लगातार सूचनाये प्राप्त हो रही थी। विगत कुछ समय में हुई आतंकवादी घटनाओ के सम्बंध में पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 द्वारा इन आतंवादी संगठनो के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में अपर महानिदेशक एस0टी0एफ0 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 द्वारा इन आतंकवादियो के सम्बंध मे अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही किए जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनन्त देव,निरीक्षक श्री अभय नारायण शुक्ला,श्री अविनाश मिश्रा,कां0 अनिल कुमार को नियुक्त किया गया। इनके द्वारा विभिन्न माध्यमो से सूचना संकलन करते हुए सूचना को विकसित किया गया तो जानकारी प्राप्त हुई कि हरकत उल जेहाद अल इस्लामी फिदायीन आतंकवादी को प्रशिक्षित कर विध्वंसक

कार्यवाही के लिए भारत भेजता है तथा साथ ही भारत से भी आतंकवादी कार्यवाही के लिए धार्मिक रुप से उन्मादग्रस्त एवं हिंसक प्रवृत्ति के लोगो को चिन्हित कर अपनी विचार धारा मे डालकर आतंकवादी गतिविधियो की ट्रेनिंग के लिए तैयार करते हैं। इसके लिए अधिकांशतयः उन लोगो को वरीयता दी जाती है तो पासपोर्ट धारक होते है। इन्हें वैध तरीके से बंगलादेश भेजा जाता है जिनके पास वैध पासपोर्ट नहीं होता उन्हें अवैध रुप से सीमा पार कराकर बंगलादेश भेजा जाता है। बंगलादेश मे पहले से इंतजार कर रहे आतंकवादी.संगठन के लोग भारत से भेजे गये लड़को को धार्मिक रुप से और अधिक उग्र एवं उन्मादित करते है तथा बंगलादेश का पासपोर्ट बनाकर भारतीय पासपोर्ट अपने पास रख लेते है। इसके बाद इन्हें पाकिस्तान का बीजा लगाकर हवाई जहाज से पाकिस्तान भेजा जाता है जहां कराची से सड़क मार्ग से 7–8 घण्टे की दूरी बख्तरबंद गाड़ी से तय कराकर गोपनीय निर्जन पहाड़ी क्षेत्रो में ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। ट्रेनिंग कैम्प में अस्त्र–शस्त्र चलाने विस्फोटक तैयार कर विस्फोट करने की विधि समझायी जाती है। ट्रेनिंग पूर्ण होने पर पुनः उसी प्रकार वापस बंगलादेश भेजा दिया जाता है। बंगलादेश में पुनः इनका बंगलादेशी पासपोर्ट रखकर भारतीय पासपोर्ट दे दिया जाता है। प्रशिक्षण पाये आतंकवादी भारत आकर आतंकवादी संगठन के एरिया कमाण्डर से सम्पर्क करते है तथा उनके निर्देश हथियार,विस्फोटक तथा टारगेट प्राप्त करते हैं। इनके टारगेट मुख्य रुप से संवेदनशील धार्मिक स्थल,सिक्योरिटी फोर्सेस,वी0आई0पी0,पानी की टंकी,बड़े बिजली घर एवं भीड़भाड़ वाले स्थान होते है जहां पर फिदायीन हमला कर अधिक से अधिक जानमाल का नुकसान करते हुए कानून एवं लोक व्यवस्था को अपनी आतंकवादी व विध्वंसक गतिविधियो से छिन्न–भिन्न करते हुए आपसी सौहार्द समाप्त करने के साथ संवैधानिक रुप से चुनी गयी सरकारो एवं भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने तथा युद्ध करने के आशय से आयुध आदि का संग्रह कर सरकारो को अपदस्थ करने का संवैधानिक संकट पैदा करते है। इसी क्रम में दिनांक 21/06/07 को हरकत–उल–जेहाद अल इस्लामी संगठन के पाक प्रशिक्षित दो फिदायीन आतंकवादी लखनऊ में गिरफतार हुए जिनके नाम क्रमशः याकूब एवं नासिर हुसैन है। इन लोगो से मजीद पूछतांछ से जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये लोग अपने साथियो की मदद से आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे जिससे जनता में भय दहशत एवं आतंक फैल जाये तथा निर्दोष लोगो की मौत से साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ जाये तथा लोक व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो जाये। मजीद पूछतांछ से अन्य दो आतंकवादियो के नाम बाबू एवं नौशाद बताया तथा उनके लखनऊ व आसपास के ठिकानो व उनके विषय में विस्तृत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गयी। उपरोक्त जानकारियों पर टीम द्वारा पतारसी–सुरागरसी व मुखबिरान की सूचनाओ से यह जानकारी प्रकाश में आयी की कुख्यात आतंकवादी बाबू व नौशाद लखनऊ मे मौजूद है और सटीक सूचना हेतु निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा द्वारा

मुखबिरान को मुनासिब हिदायत दी गयी। इसी क्रम में आज दिनांक 22/06/07 को समय करीब 11.30 पी.एम. पर एस0टीएफ0 कार्यालय पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात आतंकी बाबू व नौशाद इस समय अमीनाबाद मे किसी होटल या मुसाफिर खाने में रुके हुए है जिनके पास काफी भारी बैग है जिसमें नाजायज असलाह या विस्फोटक हो सकता है और ये दोनो हरकल–उल–जेहाद अल इस्लामी के फिदायीन आतंकवादी है। देर रात या फजर की नमाज से पहले कैसरबाग बस स्टैण्ड से कही बाहर निकलने वाले है। इन लोगो ने पी0सीओ0 से भी कहीं अपने मिलने वालो से बातचीत की है। इस सूचना पर विश्वास कर वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशन के अनुसार दो टीमो का गठन किया गया। प्रथम टीम मे निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा व निरीक्षक अभय नारायण शुक्ला,उप निरीक्षक विनय गौतम,उप निरीक्षक धर्मेश शाही,हे0कां0पंकज द्विवेदी,हे0कां0 विनोद कुमार मिश्रा,हे0कां0 बराती लाल,कमांडो राजेश,कां0 उस्मान,हे0कां0 प्रदीप कुमार मय असलहा व हे0कां0/चालक सुशील पाण्डे मय गाड़ी नं0 यू0पी0–32/बी0जी0–0422 क्वालिस व दूसरी टीम मे उ0नि0 बी0एम0 पाल,उ0नि0 धर्मेन्द्र यादव,उ0नि0 जितेन्द्र सिंह,एचसीपी राकेश त्यागी,कां0 राजेन्द्र,कां0 ओमपाल,कमाण्डो सुनील,मनोज,शशिभूषण,कां0 अरविन्द मय सरकारी गाड़ी यू0पी0–34/जी–0017 बुलेरो मय कां0/ड्राइवर धीरेन्द्र सिंह मय मुखबिर के समय करीब 12.15 बजे पी0एम0 पर एसटीएफ कार्यालय से रवाना होकर नया बस अड्डा कैसरबाग पहुॅचे। वहां निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा व निरीक्षक अभय नारायण शुक्ला द्वारा आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी तत्पश्चात दोनो ने शेष पुलिस बल की जामा तलाशी लेकर यह सुनिश्चित किया कि अलावा सरकारी असलाह के अन्य कोई अवैध गोला बारुद जैसी वस्तु किसी के पास नहीं है। जनता के गवाहान फराहम करने का प्रयास किया परन्तु नावक्त होने के कारण नहीं मिले। निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा ने अपनी टीम की गाड़ी मय ड्राइवर के मौजूदा आड़ मे खड़ी कर बस अड्डे के पहले दक्षिणी तिराहे पर रेजीडेंसी के सामने गाड़ाबंदी की व दूसरी टीम को हाईकोर्ट तिराहे पर मुनासिब हिदायत के साथ लगाया गया तथा सूचनानुसार आतंकवादियो का इंतजार करने लगे। काफी इंतजार के बाद एक रिक्शे मे दो व्यक्ति हाथो में हैण्ड बैग लिए सी0एम0ओ0 आफिस की तरफ से आकर तिराहे पर रुके और अपना–अपना बैग लेकर रिक्शे से उतरे कि मुखबिर ने इशारे से बताया व दिखाया कि यही दोनो शातिर कुख्यात आतंकवादी है और चला गया। निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा मय हमराहीयान के दोनो की तरफ सावधानी व सर्तकता पूर्वक बढ़े। शक होने पर दोनो सकपका कर अपने–अपने बैग लेकर रेजीडेंसी की तरफ अंधेरे की ओर तेज कदमो से चलने लगे कि निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा ने बुलंद आवाज में अपना परिचय देते हुए रुकने के लिए कहा तो अचानक एक व्यक्ति ने पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा जिससे निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा व निरीक्षक अभय नारायण

शुक्ला,उ0नि0 धर्मेश शाही,हे0कां0 पंकज,हे0कां0 धीरेन्द्र,हे0कां0 विनोद,हे0कां0 बराती लाल व हे0का0/ड्राइवर सुशील पाण्डेय बाल–बाल बच बचे कि आतंकियो की फायरिंग रेंज में होने तथा अंधेरा होने के बावजूद भी अपनी जान जोखिम मे डालकर गिरफतारी की नियत से अदम्य साहस व शौर्य का प्रदर्शन कर आगे बढ़े कि आतंकी द्वारा पुनःजान से मारने की नियत से फायर करने लगे कि निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा व निरीक्षक अभय नारायण शुक्ला,उ0नि0 धर्मेश शाही,हे0कां0 पंकज,हे0कां0 धीरेन्द्र,हे0कां0 विनोद,हे0कां0 बराती लाल ने अपनी जान जोखिम मे डालकर व कर्तव्यनिष्ठा पराकाष्ठा का परिचय देते हुए आतंकियो की नजदीक फायरिंग रेंज में पहुॅच कर आत्म रक्षार्थ संतुलित व नियंत्रित जबाबी फायरिंग की गयी। जवाबी फायरिंग के उपरांत आतंकियो की तरफ से फायर आना बंद हो गया व उनकी आपस मे खुसपुसाहट व खटपट जैसे आवाजे सुनाई दी तभी द्वितीय टीम भी आड़ छिपाते हुए मदद के लिए आ गयी। अंधेरे का व पुलिस सिखलाई का फायदा लेते हुए तेजी के साथ कोलिंग करते हुए टीम के अन्य सदस्यो की मदद से एक आतंकी को पिस्टल की स्लाइड खींचते हुए तथा दूसरे को बैग से ए0के0–47 निकालते हुए तेजी व फुर्ती के साथ समय करीब 2.40ए0एम0 पर पकड़ लिया जिनका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम जलालुद्दीन उर्फ पिन्टू उर्फ बाबू उर्फ अमानुल्ला मंडल पुत्र अब्दुल रशीद नि0 ग्राम भीलपाड़ा पोस्ट व थाना ज्वायनगर मजलापुर जिला दक्षिण चौबीस परगना पश्चिम बंगाल जिसके कब्जे से दाहिने हाथ से ए0के0–47 व बांये हाथ से एक काले रंग का बैग जिसके सामने के पाकिट से दो अदद मैगजीन प्रत्येक में 30–30 कारतूस तथा बैग के अन्दर एक पीली पालीथीन जिसमें रुई से लिपटे 10 डेटोनेटर स्टील धातु रंग के जिन पर हरे,पीले,सफेद तार लगे है व रुई के बीच पीली प्लास्टिक टेप मे लिपटे 05 हैण्ड ग्रेनेट,पीली प्लास्टिक टेप खोल कर देखा तो बाडी डार्क ग्रे चौखाने बने है जिसपर स्टील कलर की धातु कैप लगी है जिस पर 86 पी.01.03632 अंकित है तथा एक हरी पालीथीन मे क्वार्टस् अलार्म क्लाक फलावर पाट शेप मे मय 9 वोल्ट बैटरी जिस पर एच.डब्लू.वाट अंकित है व इस्तेमाली कपड़े। ए0के0–47 की बाडी के बांयी तरफ 11314 व फोर साइड पर 01837 पीछे की ओर व उपर 864257531 अंकित है तथा हाथ में पहने एक टाइटन धड़ी सफेद डाय,एक ट्रेन टिकट लखनऊ से वाराणसी दिनांक 20/06/07 जिसका पीएनआर नं0–2502454181(दो व्यक्तियो का)एक पाकेट डायरी खरीदने का कैश मेमो,पीसीओ की पर्ची,एक डीएल व 3200/–नगद काले रंग के रैकसीन के पर्स से मिले। दूसरे ने अपना नाम नौशाद उर्फ हाफिज उर्फ साबिर पुत्र शमी नि0 चकउदरा चन्द थाना बडरापुर जिला बिजनौर जिसके दाहिने हाथ से एक अदद पिस्टल स्लाइड फंसी हुई 7.62 जिस पर सीएएल 30 माउजर मेड एज चाइना बाई नोरीनको अंकित है,04 खोखे एवं 02 जिन्दा कारतूस व एक काले रंग का बैग जिसमें नीली पालीथीन मे दो अदद क्वार्टज घड़ी दिलनुमा शेप की जिस पर बैटरी व तार लगी है। एक

प्लास्टिक का बाक्स जिसमें रुई के बीच मे रखे 15 हैण्ड ग्रेनेड बम जिसकी बाडी काले रंग की स्टील धातु जैसी पिन व हरे रंग की प्लास्टिक कैप लगी है जिसे हटाकर देखा तो 82–2501–03650 लिखा है। दो हरे रंग के बिना पट्टी वाले थैले प्रत्येक मे दो–दो पैकिट हाई एक्सप्लोसिव जिनका वजन क्रमशः 4.450 ग्राम– 4किग्रा0 550ग्राम जिसको साथ लिए तराजू–बांट से वजन किया गया। पर्स से 1855/–रुपये व ट्रेन की दो टिकट दिनांक 22/06/07 वाराणसी से लखनऊ व एक ड्राइविंग लाइसेंस जामा तलाशी को अलग–अलग लिफाफो में रखकर चिटबंदी की गयी। बरामद एके0–47 व स्टार पिस्टल को अलग–अलग हार्ड बोर्ड पर रखकर मय मैगजीन व कारतूस के सूत की रस्सी से बांधकर पालीथीन लगायी गयी व चिटबंदी की गयी। बरामद डेटोनेटर व ग्रेनेड को उसी प्रकार एक पालीथन व एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर उसे बरामद बैगो मे अलग–अलग रख चिटबंदी की गयी। बरामद घड़ियो को अलग–अलग गत्ते पर रखकर पालीथीन लगाकर सभी की चिटबंदी की गयी। मजीद पूछतांछ से बताया कि साहब हमारे साथ दो बंगलादेशी जैसे और थे जो पीछे रिक्शे मे थे। उन्होनें शायद आपको देख लिया तो वे हमारे पीछे नहीं आये है। वे हमारी मदद हेतु आज ही आये थे। हम उनका नाम पता नहीं जानते है। तत्काल दो संदिग्धो की तलाश हेतु उ0नि0 बी0एम0 पाल,उ0नि0धर्मेन्द्र यादव,कमाण्डो सुनील,मनोज को भेजा गया परन्तु सफलता नहीं मिली। वे लोग भागने में सफल रहे। मजीद पूछतांछ से बाबू ने बताया कि मैने वर्ष 2001 में ढाका मे हूजी के अमीर के माध्यम से जेहाद की ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गया था वहां मुझे हूजी के चीफ मीर रजा खान उर्फ मुत्तकी के माध्यम से कटिली में एक माह 20 दिन की ट्रेनिंग लिया था जिसमें मुझे .762 पिस्टल,ए.के.–47 का चलाना तथा डेटोनेटर तथा सेफ्टीफ्यूज से रिमोट कंट्रोल द्वारा बम विस्फोट करना सिखाया गया था जिस वक्त मै ट्रेनिंग ले रहा था तो मलेशिया फिलिपीन्स साउथ अफ्रीका व पाकिस्तान के 20–22 लड़के भी ट्रेनिंग ले रहे थे। ट्रेनिंग के बाद मुझे इण्डिया में ट्रेनिंग के लिए लड़को को तैयार करना व विस्फोटक सामग्री एवं असलहो की भारत वर्ष में विभिन्न जगह पहुॅचाने की जिम्मेदारी दी गयी थी। मुत्तकी व उमर से मेरा परिचय जब ढाका में हुआ था मैं 1984 मे ढाका पढ़ने गया था तो सब से पहले अमीर रजा खान के यहां काम करने वाले मुनीर उर्फ असद के जामिया सिद्दीकी मदरसे में 6–7 महीने पढ़ने के बाद मुनीर ने मेरा दाखिला जामिया रहमानिया माली गांव मदरसे में करा दिया था तथ पढ़ाई पूर्ण होने के एक वर्ष पहले आसिफ रजा खान व मुनीर ने मुझे बाबरी मस्जिद गिराने के सम्बंध मे हिन्दुस्तान मे मुसलमानो पर हिन्दुओ द्वारा अत्याचार करने के सम्बंध में बताकर जेहाद में शामिल कर लिया था। ट्रेनिंग के बाद मैने आसिफ रजा खान के साथ खादिम शू कम्पनी के मालिक पार्थो बर्मन का अपहरण कर 05 करोड़ रुपया फिरौती के वसूले थे। इन पैसो का जेहाद में प्रयोग होना था। जेहाद की ट्रेनिंग के बाद अब तक मैने सैकड़ो लड़को को जो हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रांतो के थे उनको जेहाद

की ट्रेनिंग पाकिस्तान मे करायी तथा मैने ढाका के अमीर कमर के माध्यम से 40 किग्रा0 आर0डी0एक्स0 बनारस व 20 किग्रा. आर0डीएक्स बाम्बे व 30 किग्रा0 आरडीएक्स दिल्ली विस्फोट करने के लिए दे चुका हूँ तथा मेरे द्वारा दिये गये आरडीएक्स से इन सभी जगह विस्फोट करवा चुका हूँ तथा जिन लड़को को मैं ट्रेनिंग के लिए भेजता हूँ उन्हें कलकत्ता के बार्डर से क्रास करा के भेजता हूँ तथा नाटा उन लड़को का जाली पासपोर्ट बनाकर हवाई जहाज से पाकिस्तान अमीर रजा खॉ के पास करांची भेजता है जहां वे लड़के ट्रेनिंग लेते है। नासिर ने बताया कि मै 2000 से 2003 तक जब देवबंद मे किरात की पढ़ाई कर रहा था तभी देवबंद में पढ़ रहे मो0 इकबाल अमीन उर्फ अब्दुल रहमान ने मुझे जेहाद के लिए तैयार कराया और बाबू खॉ के माध्यम से मुझे ढाका नाटा के पास भेजा। नाटा ने मेरा जाली पासपोर्ट उमर के नाम से बनवाकर पाकिस्तान करांची भेजा था जहां मुस्तफा नाम के व्यक्ति ने कोटली में आतंकवाद की ट्रेनिंग दिलवायी थी जिसमें मैने एके 47,पिस्टल,डेटोनेटर स्वीच और बैटरी से आरडीएक्स लगाकर विस्फोट करना सीखा था तथा मै 2004 में ट्रेनिंग के बाद लौटकर आया तो बाबू के माध्यम से आतंकवाद की घटना करने के लिए नाटा ने 80 हजार रुपया भेजा था जिससे धामपुर में आतंकवादियो को ठहराने के लिए कमरा लिया था जिसमे आतंकियो एवं विस्फोटक सामग्री को रखवाया गया था। बरामद हाई एक्सप्लोसिव को उन्हीं बिना स्टैप के थैलेनुमा हरे रंग के कपड़े में रखकर सिलकर सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। बरामद दोनो बैगो में इस्तेमाली कपड़े आदि भी है जो उसी प्रकार यथावत बैगो में रखकर चिटबंदी करायी गयी। पकड़े गये आतंकवादियो द्वारा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी तथा विस्फोट के माध्यम से विध्वंसक कार्यवाही करने जिसके फलस्वरुप जनता में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़े एवं कानून व्यवस्थ व लोक व्यवस्था छिन्न–भिन्न करने की योजना बनाकर विस्फोटक सामग्री,असलहा नाजायज कब्जे में रखने के कारण इनके द्वारा 115/120बी/121,121ए/122/124ए/307 भादंसं0 तथा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0,धारा 16/18/20/23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवा0अधि0,3/35 आर्म्स एक्ट का अपराध कनता है। दोनो अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद विस्फोटक सामग्री के बारे में उच्चाधिकारियो के माध्यम से नियंत्रक विस्फोटक को सूचना भिजवायी गयी। मजीद पूछतांछ में बाबू ने बरामद विस्फोटको के सम्बंध बताया कि उक्त सामान मुझे मुत्तकी उर्फ अमीर रजा खॉ ने उपलब्ध करायी थी जिसे मैं विस्फोट हेतु ले जा रहा था।

उपरोक्त फर्द के आधार पर थाना वजीरगंज में अपराध संख्या281/2007 धारा 115/120बी/121,121ए/122/124 ए, 307 भादंसं0 व धारा 16/18/20/23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवा0अधि0 जलालुद्दीन व नौशाद के विरुद्ध पंजीकृत हुआ और विवेचना प्रारम्भ हुई।

दौरान विवेचना अभियुक्त अब्दुल रहमान उर्फ मो0 इकबाल उर्फ मौलाना इकबाल का नाम भी प्रकाश में आया कि घटना के समय जिन दो व्यक्तियो को पीछे से रिक्शे पर आना बताया गया था उनमे से एक व्यक्ति अब्दुल रहमान उर्फ मो0 इकबाल उर्फ मौलाना इकबाल था।

उक्त प्रकरण में विवेचक ने गवाहान के बयान अंकित किए। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। विवेचना पूर्ण कर आरोप–पत्र प्रस्तुत किया तथा सम्बंधित सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृत प्राप्त किया।

इस प्रकरण को दिनांक 05/06/2013 को न्यायालय विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सी0बी0आई0(अयोध्या प्रकरण),लखनऊ द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया।

अभियुक्त अब्दुल रहमान उर्फ मो0 इकबाल उर्फ मौलाना इकबाल के विरुद्ध धारा 120बी,115,121,121ए,122,124ए भा0दं0सं0 व धारा 16/18/20/23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधि0 के आरोप लगाये गये। अभियुक्त ने सभी आरोपो से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

मौखिक साक्ष्य में अभियोजन ने पी0डब्लू–1 अविनाश चन्द्र मिश्रा निरीक्षक एटीएस0,पी0डब्लू–2 विनय कुमार गौतम,पी0डब्लू–3 इंस्पेक्टर अभय नारायन शुक्ला,पी0डब्लू–4 एस0आई0 राम बहादुर सोनकर,पी0डब्लू–5 हीरा,पी0डब्लू–6 राजेश तिवारी,पी0डब्लू–7 अनूप कुमार क्षेत्राधिकारी–विवेचक,पी0डब्लू–8 सर्वेश चन्द्र मिश्रा क्षेत्राधिकारी–विवेचक तथा पी0डब्लू–9 दिग्विजय सिंह से0नि0 पुलिस उपाधिक्षक–विवेचक को पेश किया। साक्षियो के द्वारा फर्दप्रदर्श क–1,चिक रिपोर्ट प्रदर्श क–2,आरोप पत्र प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 को साबित किया गया है। अभियोजन स्वीकृत आदेश प्रदर्श क–5 की औपचारिक सत्यता को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तग के बयान अंकित किए गए। अभियुक्त ने अभियोजन केस व गवाहो के कथनो को अस्वीकार करते हुए उन्हें गलत होना कहा है। साक्षियो के द्वारा झूठा फंसाने के लिए गवाही देने का कथन किया है तथा मुकदमा फर्जी चलाने का भी कथन किया है तथा यह भी कथन किए कि उसे दो माह तक दिल्ली की स्पेशल सेल मे अवैध रुप से बंद रखा तथा मेरे सिर व पीठ पर निशान लगा दिये। सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार किया।

मैने उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ के तर्को को सुना तथ पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन ने अपने केस को सिद्ध करने के लिए कुल 09 गवाह पेश किए है जिनमे पी0डब्लू–1 अविनाश चन्द्र मिश्रा,पी0डब्लू–2 विनय कुमार गौतम व पी0डब्लू–3 इंस्पेक्टर अभय नारायन शुक्ला दिनांक 23/06/07 की घटना के तथ्य के साक्षी है। पी0डब्लू–1 इंस्पेक्टर अविनाश चन्द्र मिश्रा ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किए है कि ''भारत मे सीमावर्ती देशो से हूजी प्रतिबंधित संगठन के लोगो द्वारा भारत मे विध्वसंक कार्यवाही एवं उनकी योजना बनाने के सम्बंध मे समय–समय पर विभिन्न एजेन्सियो से सूचनाये प्राप्त हो रही थी। इन सूचनाओ के सम्बंध मे जानकारी सत्यापित करने हेतु मुझ निरीक्षक,निरीक्षक अभय नारायण शुक्ला व अन्नत देव तिवारी को लगाया गया। विभिन्न स्रोतो से सूचना संकलन के दौरान यह बात प्रकाश मे आयी के हूजी संगठन के लोग हिन्दुस्तान के मुस्लिम नौजवानो को उनकी मुस्लिम भावनाओ को भड़का कर हिन्दुस्तान से बंगलादेश,बंगलादेश से कराची भेजा जाता है और वहां उनको भारत विरोधी जेहाद करने और विभिन्न प्रकार की आर्म्स व एम्युनिशन की ट्रेनिंग दी जाती है। इस कार्य के लिए उन नौजवानो को प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास पासपोर्ट होते है। इसी क्रम मे तमाम पतारसी व सुरागरसी के दौरान अभियुक्त याकूब और नासिर पकड़े गये जिनसे पूछतांछ मे यह बात प्रकाश मे आयी कि लखनऊ मे हूजी के दो कट्टर सदस्य बाबू और नौशाद लखनऊ मे है और उनका पूरा हुलिया व विवरण बताया। इस सूचना पर मुखबिर व अन्य स्रोतो से विस्तृत जानकारी की गयी तो दिनांक 22/06/2007 को साढ़े ग्यारह बजे मुखबिर ने सूचना दी कि इस नाम के दो व्यक्ति अमीनाबाद मे किसी होटल या मदरसे मे रुके हुए है और किसी से पीसीओ से बाहर बात भी की है और सुबह कैसरबाग बस अड्डे से कही बाहर जाने वाले है। उनके पास भारी बैग है जिसमे असलहे आदि हो सकते है। इस सूचना पर दो टीम बनायी गयी। प्रथम टीम मे मैं स्वंय,इंस्पेक्टर अभय नारायण शुक्ला मय हमराही व गाड़ी व द्वितीय टीम मे एस0आई0 बृजमोहन पाल,एस0आई0 धर्मेन्द्र यादव,मय हमराही सरकारी गाड़ी आदि के साथ कार्यालय से रवाना हुए। मै अपनी टीम के साथ मय मुखबिर के रेजीडेंसी के सामने कैसरबाग बस स्टैण्ड के दक्षिणी तिराहे पर गाड़ी को छोड़कर छिपाकर खड़े हो गये व द्वितीय टीम को हाईकोर्ट तिराहे पर निर्देशित कर लगाया गया। काफी देर इंतजार के बाद दो व्यक्ति रिक्शे से सीएमओ कार्यालय की तरफ से कैसरबाग बस स्टैण्ड के तिराहे पर उतरकर अपना सामान लेकर चलने को हुए तभी मुखबिर ने इशारे से बताया कि यही दोनो व्यक्ति है जिनके बारे मे सूचना दी थी। मै हमराही फोर्स के साथ उनकी तरफ बढ़ा तो शक होने पर वे दोनो अपने बैग लेकर अंधेरे की तरफ बढ़ने लगे कि उनको अपना परिचय देकर रुकने के लिए कहा तो

अचानक उन लोगो ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। गिरफतारी का अन्य कोई रास्ता न मिलने पर टीम द्वारा आत्म रक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग कर दोनो व्यक्तियो को पकड़ लिया। एक ने अपना नाम बाबू उर्फ जलालुद्दीन बताया जिसकी जामा तलाशी मे उसके दाहिने हाथ से एक अदद ए0के0–47 व बांये हाथ मे पकड़े बैग से दो अदद मैगजीन प्रत्येक मे 30–30 कारतूस व घड़ी,डेटोनेटर,डी0एल0,रेलवे के टिकट पहनने के कपड़े आदि बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम नौशाद बताया जिसके दाहिने हाथ से एक अदद पिस्टल 7.62 व स्लाइड फंसी हुई बरामद हुई जिसमे दो जिन्दा कारतूस मिले व चार खोखा कारतूस पास मे पड़े हुए मिले। बांये हाथ मे पकड़े बैग से घड़ी,इस्तेमाली कपड़े व दो पैकेट विध्वंसक पदार्थ आदि बरामद हुए। पूछतांछ मे इन लोगो ने बताया कि हमारे पीछे–पीछे एक रिक्शे पर दो व्यक्ति जो शायद बंगलादेशी थे जिन्हें हमारी विध्वंसक कार्यवाही मे मदद के लिए भेजा गया था। जिनके बारे मे हम लोग कुछ नहीं जानते है। वे शायद आप लोगो को देखकर भाग गये। उन लोगो की तलाश मे एस0आई0 बृजमोहन पाल को मय टीम के भेजा गया जो हाईकोर्ट तिराहे से घटना के दौरान मदद के लिए आ गये थे। दोनो व्यक्तियो के बारे मे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। अन्य पूछतांछ के उपरांत दोनो व्यक्तियो को उनके अपराध से अवगत कराकर बरामद सामान की चिटबंदी व सील मोहर करके कब्जे मे लेकर उन्हें गिरफतार किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशो का पालन करते हुए फर्द मौके पर तैयार की गयी। कारण गिरफतारी बताते हुए फर्द की एक प्रति अभियुक्तगणो को देने के बाद अभियुक्तगणो व साक्षीगण के दस्तखत बनवाये गये। फर्द मेरे द्वारा एस0आई0 विनय गौतम को बोलकर लिखायी गयी थी। साक्षी ने फर्द प्रदर्श क–1 को साबित किया है।''

पी0डब्लू–2 विनय कुमार गौतम तत्कालीन एसआई0 एस0टी0एफ0 ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि ''जब एसटीएफ मे था तब डीजीपी कार्यालय से यह सूचनाये प्रापत हुई कि पड़ोसी देशो के कुछ एजेन्ट्स भारत वर्ष मे अराजकता फैलाना चाहते है जिसमे टाप लीडर्स की हत्याये कर सकते है,रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर भीड़भाड़ वाले स्थानो मे विस्फोट के जरिये आतंक व डर फैलाकर काफी मासूमो को हताहत कर सकते है। इसी क्रम मे एस0पी0/एस0टी0एफ0,अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनन्त देव तिवारी,इंस्पेक्टर अभय नारायन शुक्ला,इंस्पेक्टर अविनाश चन्द्र मिश्रा को पतारसी व सुरागरसी हेतु लगाया गया था कि कौने ऐसे आतंकवादी है जो विदेशो से ट्रेनिंग लेकर आये है व लखनऊ तथा आसपास के जिलो मे कोई आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते है। इस सूचना पर दिनांक 22/06/07 को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ आतंकवादी लखनऊ आ चुके है और वे लोग बस स्टैण्ड कैसरबाग के पास आ सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके दो टीमे बनायी

गयीं। जिसमे एक के पार्टी इंचार्ज श्री अविनाश चन्द्र मिश्रा बने जिसमे उनके साथ इंस्पेक्टर अभय नारायन शुक्ला,मै व एसआई धर्मेश शाही तथा अन्य हेड कांस्टेबिल व कमाण्डो रहे। दूसरी टीम एस0आई0 बृजमोहन पाल,एस0आई0 धर्मेनद्र यादव,कमाण्डो व कांस्टेबिल रहे। हम लोग दो टीम बनाकर बस स्टैण्ड के आसपास सड़क पर लग गये। काफी समय इंतजार के बाद मुखबिर ने इशारे से बताया कि जो दो लोग रिक्शे से रेजीडेंसी की तरफ आ रहे है वही लोग आतंकवादी है और वह वहां से चला गया। रिक्शे से उतरकर वे लोग चले कि टीम इंचार्ज श्री अविनाश मिश्रा द्वारा अपना परिचय देते हुए उन्हें रुकने के लिए कहा जिस पर वे तेजी से अंधेरे की ओर चले और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। अपनी जान बचाते हुए पुलिस ने संयमित फायर करते हुए दूसरी टीम की मदद से रात दो बजकर चालीस मिनट ए.एम. पर दोनो आतंकवादियो को पकड़ लिया। पहले ने अपना नाम जलालुद्दीन उर्फ बाबू बताया जिसके दाहिने हाथ मे एक ए0के0–47 बरामद हुई तथा बांये हाथ मे लिए बैग से पांच हैण्ड ग्रेनेड,दो मैगजीन मय कारतूस बरामद हुए। दूसरे आतंकवादी नौशाद के कब्जे से एक पिस्टल जिन्दा कारतूस,खोखा कारतूस 15 हैण्ड ग्रेनेड,दो पैकेट मे हाइली एक्सप्लोजिव बरामद हुआ। मौके पर ही पूछतांछ हुई तो बताया कि हमारे दो साथी पीछे रिक्शे मे आ रहे थे जो बंगलादेशी है। उनका नाम पता हमे नहीं मालूम है। वे शायद आप लोगो को देखकर पीछे ही कही रुक गये है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा ने दूसरी टीम को उनकी तलाश हेतु भेजा लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फर्द मौके पर अविनाश मिश्रा के बोलने पर मेरे द्वारा लिखी गयी व बरामद माल को मौके सील व चिटबंदी की गयी।''

पी0डब्लू–3 इंस्पेक्टर अभय नारायन शुक्ला ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि वर्ष 2007 मे मै एसटीएफ मे निरीक्षक के पद पर तैनात था। डीजीपी कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई कि पड़ोसी देश के कुछ एजेन्ट भारत वर्ष मे अराजकता फैलाकर विध्वसंक कार्यवाही कर सकते है। इस सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक अन्नतदेव तिवारी व इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा व मुझे सूचना विकसित करने हेतु लगाया गया। विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियो के सूत्रो से व मुखबिरो द्वारा इस सूचना को विकसित कर यह मालूम हुआ कि मुस्लिम युवको को भड़काकर पड़ोसी देश बंगलादेश के माध्यम से पाकिस्तान मे हूजी संगठन द्वारा आर्म्स व एम्युनेशन की ट्रेनिंग दिलायी जा रही है जिससे वे भारत मे वापस आकर विध्वसंक कार्यवाही करके अराजकता फैला सके। इसी क्रम मे हूजी संगठन के दो सदस्य याकूब व नासिर की गिरफतारी हुई जिनसे यह ज्ञात हुआ कि हूजी संगठन के दो खूखांर आतंकवादी जलालुद्दीन उर्फ बाबू व नौशाद अमीनाबाद के किसी होटल मे रुके हुए है तथा उनके पास बैग मे बड़े असलहे व एम्युनिशन होने की संभावना है तथा किसी पीसीओ से वार्तालाप

किया। पीसीओ से वार्तालाप के सम्बंध मे मुखबिर खास ने बताया तथा सुबह कैसरबाग बस अड्डे से कहीं बाहर जाने वाले है। इस सूचना पर एसटीएफ की दो टीमे बनाकर जिसमे इंसपेक्टर अविनाश मिश्रा के साथ मै व टीम के अन्य सदस्य तथा दूसरी टीम सब इंस्पेक्टर बृजमोहन पाल के नतृत्व मे कैसरबाग पहुॅचे। मेरी टीम रेजीडेंसी के सामने कैसरबाग के दक्षिणी किनारे पर तथा बी0एम0 पाल की टीम हाईकोर्ट चौराहे पर लगायी गयी। काफी देर इंतजार करने के बाद सीएमओ आफिस की तरफ से एक रिक्शे पर दो व्यक्ति आते हुए दिखायी दिये जिन्हें मुखबिर के इशारे पर रोका व टोका गया तथा अभियुक्तो के भागते वक्त आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग कर दोनो अभियुक्तगण को मय असलहा गिरफतार किया गया। फायरिंग दोनो पक्षो की तरफ से हुई थी। पकड़े गये अभियुक्त ने अपना नाम जलालुद्दीन उर्फ बाबू व नौशाद बताया। जलालुद्दीन के पास से एक ए0के0–47 दो मैगजीन मय कारतूस,हैण्ड ग्रेनेड व 05 डेटोनेटर बरामद हुए थे। नौशाद के पास से एक अदद पिस्टल 7.62 बोर तथा विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ। उक्त पूछतांछ मे दोनो ने बताया कि हमारे पीछे दो और व्यक्ति जो आतंकवादी थे जो आप लोगो को देखकर भाग गये है। इस पर एसआई बृजमोहन पालन की टीम को उसी दिशा मे उनकी खोज हेतु भेजा गया। फर्द मौके पर तैयार की गयी थी। अन्य लोगो के साथ–साथ मैने भी अपने हस्ताक्षर किए थे।''

पी0डब्लू–4 एस0आई0 रामबहादुर सोनकर तत्कालीन हे0मो0 थाना वजीरगंज ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि दिनांक 23/06/07 को फर्द बरामदगी के आधार पर चिक एफआईआर किता किया। इस साक्षी ने चिक की छाया प्रति को प्रदर्श क–2 के रुप मे साबित किया है।

पी0डब्लू–5 हीरा जोकि घटना का स्वतंत्र साक्षी अभियोजन द्वारा बताया जा रहा है,ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि ''मै कैसरबाग बस अड़डे के अन्दर रेवड़ी,मोमफली इत्यादि बेचता हूॅ। मुझे बस अड्डे पर रेवड़ी व मोमफली बेचते लगभग 18 वर्ष हो रहे है। मेरे पिता जी भी यही काम करते थे। दिनांक 22/23.06.07 की रात्रि समय लगभग 2.00–2.30 बजे मै घर पर था। शहीद स्मारक की तरफ नहीं जा रहा था। मैने बलरामपुर अस्पताल मे उस समय किसी को घुसते नहीं देखा था और न ही गोली चलने की आवाज सुनी थी और न ही किसी को अब्दुल रहमान का नाम लेते हुए सुना था। मैने दूसरे दिन अखबार मे यह भी नहीं पढ़ा था कि आतंकवादियो तथा पुलिस मे मुठभेड़ हो गयी है जिसमे दो आतंकवादी भाग गये तथा दो गिरफतार हो गये है। भागने वालो मे एक का नाम अब्दुल रहमान था। मैने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि आतंकवादी होने की बात सुनकर मै काफी दहशत मे आ गया था।''

पी0डब्लू–6 राजेश तिवारी जोकि अभियोजन द्वारा स्वतंत्र जन साक्षी होना बताया जा रहा है,ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कथन किए है कि ''मेरी कचेहरी गेट के बगल मे चाय की दुकान है। दुकान किए लगभग 15 साल हो गये। मेरी दुकान पुरान बस अड्डा कैसरबाग के पास कभी नहीं रही। दिनांक 22/23.06.07 की रात समय करीब 2.00–2.30 बजे रेजीडेंसी के पास मैने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी थी न ही मैने उस समय रिक्शे से उतकर अपना–अपना बैग लेकर बलरामपुर अस्पताल की ओर जाते हुए देखा था और न ही मैने उनमे से एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना था कि अब्दुल रहमान भाई जल्दी भागो पुलिस वालो ने हमारे साथियो को घेर लिया है और मुठभेड़ हो रही है।''

पी0डब्लू–7 अनूप कुमार क्षेत्राधिकारी पुलिस विवेचक है जिन्होनें विवेचना के बाबत अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा यह कथन किया कि जनता के गवाह घनश्याम रावत,हीरा,राजेश तिवारी व शत्रोहन के बयान अंकित किए तथा अभियोजन स्वीकृत प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया।

पी0डब्लू–8 सर्वेश चन्द्र मिश्रा क्षेत्राधिकारी पुलिस भी विवेचक ने और इस साक्षी ने विवेचना के सम्बंध मे अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आरोप पत्र प्रदर्श क–3 को साबित किया है।

पी0डब्लू–9 दिग्विजय सिंह तत्कालीन क्षेत्राधिकारी पुलिस–विवेचक ने विवेचना के सम्बंध मे अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आरोप पत्र प्रदर्श क–4 को अपने लेख व हस्ताक्षर मे होना प्रमाणित किया है।

फर्द प्रदर्श क–1 के अनुसार पुलिस निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिश्रा व उनके साथ पुलिस कर्मचारियो ने दिनांक 23/06/07 को 2.45 ए.एम. पर नये बस अड्डा,कैसरबाग के पास पुलिस मुठभेड़ मे दो अभियुक्तगण/आतंकवादी जलालुद्दीन व नौशाद को आग्नेयास्त्र व विस्फोटक के साथ गिरफतार किया तथा अभियुक्तगण ने आतंकवादी गतिविधियो मे संलिप्त होने व पाकिस्तान मे प्रशिक्षण प्राप्त करने व महत्वपूर्ण गतिविधियो के बारे मे विस्तृत जानकारी दी। फर्द/एफआईआर प्रदर्श क–1 मे यह भी कथन है कि गिरफतार अभियुक्तगण ने मजीद पूछतांछ मे बताया कि उनके साथ दो बंगलादेशी और थे जो पीछे रिक्शे मे थे उन्होने शायद आपको देख लिया तो वे हमारे पीछे नहीं आये। वे हमारी मदद हेतु आज ही आये थे हम उनका नाम पता नहीं जानते। दोनो संदिग्धो की तलाश हेतु एस0आई0 बी0एम0 पाल के नेतृत्व वाली टीम भेजी गयी परन्तु सफलता नहीं मिली और वे भागने मे सफल रहे। आगे फर्द

मे यह उल्लेख किया गया है कि नासिर (सही नाम नौशाद)ने बताया कि मै 2000 से 2003 के बीच जब देवबंद मे केरात की पढ़ाई कर रहा था तभी देवबंद मे पढ़ रहे मो0 इकबाल अमीन उर्फ अब्दुल रहमान ने मुझे जेहाद के लिए तैयार कराया और बाबू खॉ के माध्यम से मुझे ढाका नाडा के पास भेजा। अतः फर्द के उपरोक्त अभिकथनो से यह परिलक्षित होता है कि रिक्शे मे जो दो व्यक्ति पीछे आ रहे थे उनमे से कोई व्यक्ति अब्दुल रहमान नहीं हो सकता था क्योंकि दोनो पकड़े गये अभियुक्त अब्दुल रहमान उर्फ मौलाना इकबाल को पहले से जानते थे परन्तु अभियोजन केस यह है कि जनता के दो व्यक्तियो हीरा तथा राजेश तिवारी ने अपने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानो मे विवेचनाधिकारी को यह बयान दिये कि दिनांक 22/23.06.07 की रात मे 2.30 बजे वह दोनो शहीद स्मारक की तरफ से पैदल आ रहे थे। दोनो कैसरबाग बस स्टैण्ड पर चाय व पान की दुकान करते है। दिनांक 22/23.06.07 की रात मे 2.00–2.30 बजे वे पैदल शहीद स्मारक की तरफ जा रहे थे तभी गोली चलने की आवाज आयी। एक रिक्शे पर दो लोग बैठे थे रिक्शे वाला जब रुका तो देखा कि उनके पास बैग थे और वह लम्बे तगड़े थे। वे बड़ी तेजी से बलरामपुर अस्पताल के अन्दर घुसे जिनमे एक व्यक्ति कह रहा था कि अब्दुल रहमान भाई जल्दी से यहां से भाग चलो अपने साथियो के साथ शायद पुलिस की मुठभेड़ हो गयी। हम लोग भी पकड़े जा सकते है। वे दोनो लागे बड़े–बड़े बैग का झोला लिए हुए थे तथा मोटे तगड़े थे और दोनो बहुत तेजी से बैग लिए हुए बलरामपुर अस्पताल की तरफ भाग निकले। उपरोक्त जन साक्षियो के धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानो के आधार पर अभियुक्त अब्दुल रहमान के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित हुआ है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अभियोजन केस स्वंय मे अर्न्तविरोधी है क्योंकि एक अभियोजन केस के अनुसार अभियुक्त अब्दुल रहमान घटना के समय पीछे वाले रिक्शे से आया था और पुलिस मुठभेड़ देख मौके से फरार हो गया तथा मौके पर गिरफतार दोनो अभियुक्त उसे पहले से नहीं जानते थे। जबकि फर्द मे ही यह उल्लेख है कि देवबंद मे पढ़ने के दौरान मो0 इकबाल उर्फ अब्दुल रहमान ने नौशाद को जेहाद के लिए तैयार किया था तथा जलालुद्दीन उर्फ बाबू के माध्यम से ढाका भेजा था जिससे यह पूर्ण रुप से स्थापित हो रहा है कि दोनो गिरफतार अभियुक्त अब्दुल रहमान उर्फ मौलाना इकबाल को पहले से जानते थे। अतः पीछे रिक्शे पर आने वाले व्यक्तियो मे से एक व्यक्ति का अब्दुल रहमान होने का दौरान विवेचना एकत्रित साक्ष्य,फर्द के अभिकथनो से अर्न्तविरोधी हो जाता है।

अभियोजन ने उपरोक्त दोनो जन साक्षियो हीरा व राजेश तिवारी को न्यायालय मे परीक्षित कराया है परन्तु इन दोनो साक्षियो ने अपने बयानो मे अभियोजन केस की पुष्टि नहीं की है। पी0डब्लू–5 हीरा ने अपनी मुख्य परीक्षा मे यह कहा है कि यह साक्षी कैसरबाग बस अड्डे के अन्दर रेवड़ी व मोमफली आदि बेंचता है और यह व्यवसाय करते हुए उसे 18 वर्ष हो

गये है। उसे पिता भी यही काम करते थे परन्तु इस तथ्य से इन्कार किया है कि दिनांक 22/23.06.07 की रात समय लगभग 2.00–2.30 बजे रात मे वह शहीद स्मारक की तरफ जा रहा था और यह भी कथन किया वह उस समय अपने घर पर था। उसने बलरामपुर अस्पताल मे न तो किसी को घुसते हुए देखा और न ही गोली चलने की आवाज सुनी और न किसी को अब्दुल रहमान का नाम लेते हुए सुना। उसने इस तथ्य से इन्कार किया है कि दूसरे दिन उसने अखबार मे आतंकवादियो व पुलिस के बीच मुठभेड़ होने की खबर पढ़ी थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराकर अभियोजन ने प्रतिपृच्छा की है। प्रतिपृच्छा मे साक्षी ने अपने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानो का पूर्ण रुप से खण्डन किया है और अभियोजन सुझावो को भी अस्वीकार किया है। अभियुक्त की ओर से की गई प्रतिपृच्छा मे साक्षी ने यह बयान भी दिये है कि उसकी कैसरबाग बस अड्डे पर कभी चाय की दुकान नही थी। उसने यह कथन भी किए है कि वह बस अड्डे पर सुबह 8.00 बजे से रात 8.00 बजे तक अपना व्यवसाय करता है और उसके बाद अपने घर चला जाता है। रात 12.00 बजे के बाद वह कभी घूमने नहीं निकलता। लगभग 10 साल पहले जब उसकी शादी हुई है तब से रात मे बाहर घूमने नहीं निकलता है। इससे पहले रात मे पिक्चर आदि देखने के लिए निकलता था। इसी प्रकार पी0डब्लू–6 राजेश तिवारी ने मुख्य परीक्षा मे यह कहा है कि कचेहरी गेट के बगल मे उसकी चाय की दुकान है दुकान किए हुए लगभग 15 साल हो गया है उसने इस तथ्य को अस्वीकार किया है की उसकी दुकान पुराने बस अड्डा कैसरबाग,लखनऊ के पास कभी रही हो। दिनांक 22/23.6.07 की रात 2.00–2.30 बजे उसने रेजीडेंसी के पास गोली चलने की आवाज नही सुनी और न रिक्शे से उतरकर अपने–अपने बैग लेकर बलरामपुर अस्पताल की ओर जाते हुए किसी को देखा और न यह कहते हुए सुना कि अब्दुल रहमान भाई जल्दी भागो। पुलिस वालो ने हमारे साथियो को घेर लिया है और मुठभेड़ हो रही है। इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित कराकर अभियोजन ने प्रतिपृच्छा की है तो साक्षी ने यह बयान दिये कि कैसरबाग बस अड्डे से उसकी चाय की दुकान लगभग 01 किमी0 दूर है। साक्षी ने यह भी बयान दिये कि वह अपनी दुकान प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे सायं तक चलाता है और रात मे दुकान पर कभी नहीं रुकता वह अपने घर डालीगंज से दुकान साईकिल से आता है। दुकान का सामान अपने छोटे से काउन्टर मे रख देता है। दुकान मे रात मे रखवाली के लिए कोई नहीं रहता है। धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयानो को भी साक्षी ने अस्वीकार किया है। इन दोनो साक्षियो के बयानो मे कोई ऐसा कथन नहीं है जिससे अभियोजन केस का किसी रुप मे समर्थन होता हो। साक्षियो के बयानो से यह स्पष्ट हो रहा है कि साक्षी न तो मौके पर उपस्थित थे और न ही उन्होनें किसी प्रकार की घटना देखी और न किसी को अब्दुल रहमान का नाम लेकर भागने की बात कहते हुए सुना। यह परिलक्षित हो रहा है कि केवल साक्ष्य बनाने के उद्देश्य से विवेचक ने इन दोनो जनता के व्यक्तियो को

मौके पर मौजूद होने और उनके द्वारा मुलजिम को भागते हुए देखने और नाम लेकर बुलाने का बयान दर्ज किया गया है जो मनगढ़ंत है तथा फर्द के अभिकथनो से भी गंभीर विरोध रखता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मे यह अभिकथन है कि पकड़े गये अभियुक्तगण ने यह बताया था कि उनके पीछे दो बंगलादेशी जैसे व्यक्ति थे जिनका नाम पता वे नहीं जानते है। जबकि अभियुक्त अब्दुल रहमान जनपद शामली,उ0प्र0,भारत देश का ही रहने वाला है और बंगलादेशी नहीं है। भागने वाले दूसरे अभियुक्त का नाम भी विवेचना मे उजागर नहीं हो पाया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोजन ने सह अभियुक्तगण जलालुद्दीन व नौशाद से मुठभेड़ करने व गिरफतार करने वाली पुलिस पार्टी के सदस्य निरीक्षक अविनाश चन्द्र मिरा पी0डब्लू–1,एस0आई0 विनय गौतम पी0डब्लू–2 व निरीक्षक अभय नारायन शुक्ला पी0डब्लू–3 को भी पेश किया है। इन साक्षियो के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के बयान मे फर्द प्रदर्श क–1 के अनुरुप कथन किए गए है और जिसमे अभियुक्त अब्दुल रहमान के विरुद्ध कोई कथन नहीं है। अतः यदि इन साक्षियो का बयान पूरी तरह उसी रुप मे पढ़ लिया जाये तो भी इससे अभियुक्त अब्दुल रहमान के विरुद्ध कोई आरोप साबित नहीं हो सकता है और यह अभियोजन के लिए व्यर्थ है। पी0डब्लू–1 अविनाश चन्द्र मिश्रा की प्रतिपृच्छा मे यह भी कथन है कि मुखबिर ने पीछे रिक्शे पर आने वाले लोगो के बारे मे कुछ नहीं बताया था तथा यह भी कथन है कि मुकदमा पंजीकृत कराये जाने तक अभियुक्त अब्दुल रहमान उर्फ इकबाल का नाम प्रकाश मे नहीं आया था। इसीप्रकार पी0डब्लू–2 विनय गौतम की प्रतिपृच्छा मे यह कथन है कि जहां जलालुद्दीन व नौशाद को गिरफतार किया गया था वहां पर भी मुखबिर ने अब्दुल रहमान उर्फ इकबाल के बारे मे कोई जानकारी नहीं दी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे मौके से अब्दुल रहमान को भागते हुए नहीं देखा। इसप्रकार पी0डब्लू–1 इंस्पेक्टर अविनाश चन्द्र मिश्रा,पी0डब्लू–2 एस0आई0 विनय गौतम व पी0डब्लू–3 अंस्पेक्टर अभय नारायन शुक्ला के बयान से भी अभियोजन केस को कोई मदद नहीं मिलता है।

शेष अभियोजन साक्षी औपचारिक प्रकृति के है। पी0डब्लू–1 एस0आई0 राम बहादुर सोनकर चिक व जी0डी0 लेखक है जिनके द्वारा फर्द के आधार पर इस मुकदे की चिक रिपोर्ट दर्ज की गयी है और साक्षी के द्वारा इन दोनो अभिलेखो को साबित किया गया है। पी0डब्लू–7 अनूप कुमार क्षेत्राधिकारी पुलिस,पी0डब्लू–8 सर्वेश चन्द्र मिश्रा क्षेत्राधिकारी पुलिस तथा पी0डब्लू–8 दिग्विजय सिंह से0नि0 क्षेत्राधिकारी पुलिस विवेचक है जिनके द्वारा मुकदमे की विवेचना विभिन्न स्तरो पर की गयी है और उनके द्वारा गवाहो के बयान अंकित किए गए,घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र

प्रेषित किया गया।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अब्दुल रहमान के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्त किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य है अथवा उसका किसी आतंकी संगठन से कोई सम्बंध है और वह देश के विरुद्ध आतंकवादियो गतिविधियो मे संलिप्त रहा है। अभियुक्त न तो मौके से गिरफतार हुआ है और न अभियुक्त के पास से किसी प्रकार की अवैधानिक वस्तु ही बरामद हुई है। अतः अभियुक्त अब्दुल रहमान के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन अपना केस सिद्ध कर पाने मे पूर्ण रुप से असफल रहा है और अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्त अब्दुल रहमान उर्फ मो0 इकबाल उर्फ मौलाना इकबाल को धारा 115,120बी,121,121ए,122,124ए भा0दं0सं0 व धारा 16,18,20 व 23 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधि0 के आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त का रिहाई वारण्ट तत्काल जिला कारागार,लखनऊ इस मामले मे प्रेषित किया जाये। अभियुक्त यदि किसी अन्य मामले मे वांछित न हो तो उसे रिहा किया जाये।

अभियुक्त धारा 437–ए दं0प्र0सं0 के प्राविधानो के अन्तर्गत दो सप्ताह के अन्दर रुपये 25 हजार के दो जमानती व इसी धनराशि का मुचलका प्रस्तुत करें।

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.ऐक्ट)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
दिनांकः04/02/2016 लखनऊ।

निर्णय एवं आदेश आज मेरें द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.ऐक्ट)
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
दिनांकः04/02/2016 लखनऊ।

अ0ज0
04.02.16